ग्राम पंचायत वाकना, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1 प्रस्तावना (क)

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत वाकना, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री भगत सिंह	1/04/2014 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति मीरा शर्मा	1/04/2014 से 25/11/2016
2	श्री विजय कुमार	26/11/2016 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत वाकना, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के लेखाओं अवधि 1.04.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	सामान्य निधि में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज को स्वय स्त्रोत में स्थानांतरित करने बारे	1.15
2	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	13.37
3	12	मोबाइल टावर कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क (renewal fee) की शेष वसूली	0.26
4	14	दुकानदारों से सफाई शुल्क की शेष वसूली	0.38
5	19	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक स्टोर का क्रय करना	6.60
6	20	जेसीबी चार्जीस का अनियमित भुगतान	0.06
7	21	मस्ट्रोल पर करवाए गए कार्य का बिना सत्यापन भुगतान	1.31

भाग –दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण**

ग्राम पंचायत वाकना, विकास खण्ड कण्डाघाट, ज़िला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमर दत्त, अनुभाग अधिकारी व श्री लोकेश व्यास,कनिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03/01/2018 से 06/01/2018 तक ग्राम पंचायत वाकना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 3/2015, 6/2015, 3/2017 व 4/2014, 10/2015, 02/2017 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत वाकना,विकास खण्ड कंडाघाट,ज़िला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जीपी ऑडिट/जीपीपी/डीबी कंडाघाट/एसएलएन/2017-18-02 दिनांक 5/01/2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत वाकना से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत वाकना द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 100790 दिनांक 10/01/2018 (जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कण्डाघाट) द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**

ग्राम पंचायत वाकना द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की स्वं स्त्रोत व अन्य अनुदानों की संकलित वित्तिय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	17,11,812.30	16,42,666.00	33,54,478.30	13,26,990	20,27,488.30
2015-16	20,27,488.30	25,49,915.00	45,77,403.30	22,28,014.20	23,49,389.10
2016-17	23,49,389.10	23,49,794.00	46,99,183.10	22,58,012.20	24,41,170.90

नोट : स्वं-स्त्रोत व अन्य अनुदानों/निधिओं का पृथक-पृथक विवरण संलग्न **परिशिष्ट – I** में दिया गया है !

संयुक्त बैंक समाधान विवरणी:

दिनांक 31/3/2017 को रोकड़ बही/ वित्तिय स्तिथि के अनुसार अंतिम 24,41,170.87

शेष	
Less: ₹43,358.00 की आय से सम्बन्धित चैक रोकड़ बही में तो दिनांक 31/3/2017 से पहले जमा कर दिए गए परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 31/3/2017 तक जमा नहीं किये गए थे!	(-)43,358.00
Add: मनरेगा के अंतर्गत माह 05/2015 से 03/2017 तक EFMS के माध्यम से किये गए भुगतान जिसे मनरेगा की रोकड़ बही में तो दर्शाया गया है परन्तु इनका भुगतान मनरेगा खाते से न करके FTO/EFMS के माध्यम से किया गया है!	(+)9,89,729.40
Less: सामान्य निधि में दिनांक 31/3/2017 को हस्तगत शेष	(-)777.00
दिनांक 31/3/2017 को पास बुक के अनुसार अंतिम शेष	33,86,765.27
(विवरण **परिशिष्ट II** में दिया गया है)	

दिनांक 31/3/2017 को बैंक में जमा राशी का विवरण :

क्रम संख्या	**निधि का नाम**	**खाता संख्या (last 4 digit)**	**बैंक का नाम**	**दिनांक 31/3/2017 को अंतिम शेष**
1	स्वयं स्त्रोत	9007	SBI Waknaghat	11,04,028.27
2	सामान्य निधि	2430	JCC Kandaghat	21,29,001.00
3	12वां वित्त आयोग	5912	JCC Kandaghat	Nil
4	स्वजलधारा	4368	SBI Waknaghat	Nil
5	मनरेगा	3845	SBI Waknaghat	Nil
6	मनरेगा	4312	JCC Kandaghat	Nil
7	इन्दिरा आवास योजना (IAY/RAY)	4929	JCC Kandaghat	50,807.00
8	वाटरशेड (IWMP VI)	1916	JCC Kandaghat	42.00
9	WDF		SBI Waknaghat	1,02,887.00
दिनांक 31/03/2017 को ग्राम पंचायत द्वारा संधारित सभी बैंक खातों के अन्तिम शेष का कुल योग				**33,86,765.27**

5 ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य निधि,स्वजलधारा,12वाँ वित्त आयोग व स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय की प्रविष्टि हेतु अलग-अलग रोकड़ बही संधारित न करना:-

ग्राम पंचायत, वाकना द्वारा सामान्य निधि,स्वजलधारा,12वाँ वित्त आयोग व स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय को एक ही रोकड़ बही में प्रविष्ट किया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (i) के अनुसार स्वय के स्त्रोत से प्राप्त आय को खाता – ए (Account - A) में शामिल किया गया है

इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओ से प्राप्त अनुदानों व ऋणों को खाता – बी (Account-B) में रखा गया है जिस हेतु अलग बैंक खाता व अलग रोकड़ बही में प्रविष्टि की जानी वांछित है। अतः पंचायत निधि व एवं अनुदानों की प्रविष्टि हेतु पृथक् पृथक् रोकड़ बहियों का संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 सामान्य निधि में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज ₹1.15 लाख को स्वय स्त्रोत में स्थानांतरित करने बारेः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (i) के अनुसार नियम 3 के कोड संख्या 1 से 50 में सन्दर्भित स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत के स्वयं की आय माना गया है तथा खाता – ए (Account - A) में शामिल किया गया है। इसी प्रकार नियम 3 के कोड संख्या 51 से 99 जिसमें विभिन्न संस्थाओ से प्राप्त अनुदानों व ऋणों को भी शामिल किया गया है तथा खाता – बी (Account-B) में रखा गया है । खाता – बी पर प्राप्त होने वाले ब्याज अर्थात अनुदानों व ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रतिवर्ष जनवरी व जुलाई में खाता- ए (स्वयं के स्त्रोत की आय) में स्थानान्तरित किये जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य खाते में जमा राशि पर प्राप्त हुई ब्याज ₹1,15,086 जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, को स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय में स्थानान्तरित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा ₹1,15,086 को खाता–ए में स्थानान्तरित कर कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रम संख्या	अनुदान स्त्रोत	वर्ष			कुल राशि
		2014-15	2015-16	2016-17	
1	सामान्य निधि	17,443.00	19,768.00	77,875.00	1,15,086/-

कुल स्थानातरण योग्य ₹1,15,086

7 बैंकों द्वारा ₹540.00 की अनियमित कटौती करना : –

ग्राम पंचायत के विभिन्न बैंक खातों के अवलोकन पर पाया गया कि बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न बैंक खातों से न्यूनतम शेष/चैक वापसी/चैक बुक चार्जेज के रूप में ₹540.00 की अनियमित कटौती की गई है जबकि, नियमानुसार सरकारी विभागों व संस्थाओं से न्यूनतम शेष चार्जेज व अन्य चार्जेज वसूल किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सम्बंधित बैंकों से इस प्रकार की गई अनियमित कटौती की वसूली हेतु आवश्यक पग उठाये जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिन-जिन बैंक खातों पर न्यूनतम शेष शुल्क काटा गया है उन्हें समय पर बंद न किये जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैंकों द्वारा काटी गई राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है ।

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या (last four digits)**	**अनुदान स्रोत**	**अवधि**	**कटौती राशि**
1	जेसीसी बैंक कंडाघाट	2430	सामान्य निधि	18/6/15 से 23/06/15	65.00
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंडाघाट	9007	पंचायत निधि	15/5/14 से 27/12/16	315.00
3	जेसीसी बैंक कंडाघाट	4312	मनरेगा	30/4/14 से 30/4/15	160.00
				कुल कटौतियां	**`₹540.00**

8 अनुदान ₹13.37 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ₹13,37,142.60 उपयोग हेतु शेष थी ! जिसका विवरण **परिशिष्ट–I,** अनुदानों से सम्बंधित वित्तीय स्तिथि 2016-17 के क्रम संख्या 3 में दिया गया है ।

उपरोक्त वर्णित राशि को पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान राशी का नियमानुसार उसी कार्य पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस कार्य हेतु अनुदान राशी स्वीकृत की गई है ।

9 पंचायत निधि की राशि का सावधि जमा में निवेश न करना

ग्राम पंचायत के निधि लेखों का अवलोकन करने पर पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा निधि बचत खाते में आवश्यकता से अधिक राशि रखी गई है,जो की दिनांक 31/03/2017 को बचत खाता संख्या 9007 में ₹11,04,028.27 थी । जिसे यदि सावधि जमा में निवेश किया जाता तो ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो सकती थी। अतः उक्त राशि को सावधि जमा में निवेश न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आवश्यकता से अधिक राशि को तुरंत प्रभाव से सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10 गृह कर की शेष वसूली :-

ग्राम पंचायत वाकना को गृह कर से प्राप्त होने वाली आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2002 से 3/2017 तक गृह कर से सम्बंधित आय प्राप्ति की, गृह कर पंजिका में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई है तथा न ही गृह कर के एकत्रीकरण से सम्बंधित कोई अभिलेख ही अंकेक्षण के समक्ष अवलोकनार्थ/पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया जिसकी अनुपस्थिति में ऐसा प्रतीत होता है की ग्राम पंचायत गृह कर की वसूली के प्रति

बिल्कुल भी सजग नहीं है, जबकि गृह कर ग्राम पंचायत की विभिन्न आय प्राप्ति साधनों में से एक मुख्य साधन है अतः वर्ष 2002 से 3/2017 तक निर्धारित दरों से की जाने वाली तथा की गई वसूली से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्राम पंचायत की आय में बढ़ोतरी हेतु आवश्यक पग उठाये जाये।

11 स्वय के स्त्रोत से प्राप्त राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन ₹0.11 लाख:-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्वय के स्त्रोत से कुछ राशि एकत्रित की गई परन्तु एकत्रित की गई राशि को सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही कार्यालय एवं अन्य व्ययों हेतु उपयोग में लाया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 6 (3) के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है तथा नियम 10(3) के अन्तर्गत आकस्मिक व्यय हेतु सचिव द्वारा मात्र एक हजार तक की राशि को हस्तगत में रखे जाने का प्रावधान है जबकि सचिव द्वारा हस्तगत के रूप में कोई भी राशि नहीं रखी गई है। बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही किये गए कुछ भुगतानों का विवरण निम्नानुसार है।

बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही भुगतान की गई राशि का विवरण

क्रम संख्या	मद जिस पर व्यय की गई	दिनांक	राशि
1	ब्रॉडबैंड बिल	7/3/17	979
2	बिजली बिल	22/3/17	576
3	ब्रॉडबैंड बिल	28/3/17	765
4	कार्यालय व्यय	28/3/17	173
5	स्टेशनरी	28/3/17	900
6	सफाई शुल्क	19/3/16	1000
7	कार्यालय व्यय	19/3/16	990
8	सफाई शुल्क	5/3/16	5000
9	ब्रॉडबैंड, बिजली व कार्यालय व्यय	5/3/16	1126
		कुल योग	**₹11509**

अतः स्पष्ट किया जाये कि एकत्रित की गई राशि को उसी दिन या अगले ही दिन बैंक खाते में जमा क्यों नहीं किया गया तथा किन नियमों के तहत एकत्रित की गई राशि को बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही उपरोक्त मदों पर व्यय हेतु उपयोग में लाया गया है। भविष्य

में एकत्रित की जाने वाली राशि का बैंक में जमा करवाया जाना तथा बैंक से ही भुगतान हेतु आहरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मोबाइल टावर कम्पनियों से ₹0.26 लाख की शेष वसूली :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: जीपी ऑडिट/डीबी कंडाघाट/2017/18-02 दिनांक 3/01/2017 के प्रत्युत्तर में सचिव ग्राम पंचायत वाकना द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत के अधीन क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों के 6 मोबाइल टावर्स स्थापित किये गए है जिनसे दिनांक 31/03/2017 तक ₹26000 वसूल की जानी शेष है परन्तु ग्राम पंचायत कार्यालय में ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही था जिससे यह जानकारी प्राप्त की जा सकती, कि यह मोबाइल टावर्स किन-किन तिथिओं से स्थापित किए गये है और इनसे वर्षवार कितना-कितना स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क वसूल किया गया है जबकि सूचना प्रोदयोगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा मोबाइल टावर्स स्थापित करने हेतु जारी की गई निति (Policy) के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) दिनांक 22/08/2006 में प्रत्येक पांच वर्ष के उपरांत 25% बढ़ोतरी सहित पूर्व में स्थापित मोबाइल टावर्स के नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। अतः मोबाइल टावरों से सम्बंधित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार कर उपरोक्त निति के अनुसार सम्पूर्ण राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। मोबाइल टावर के शुल्क की वसूली हेतु बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Year	No. of Mobile Towers established under the G.P.	Rate fixed by the G.P./Govt. to be realized yearly	Total Amt. due	Total Amt. recovered	Balance amount to be recovered	Previous amount outstanding at the beginning of the Financial year	Total outstanding amount
2014-15	6	2500	15000	7500	7500	0	7500
2015-16	6	2500	15000	5000	10000	7500	17500
2016-17	6	2500	15000	6500	8500	17500	26000

13 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत शेष रखना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 10(3) में निर्धारित सीमा से अधिक की राशि का हस्तगत शेष रखा गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में एक हज़ार से अधिक की राशि को तुरंत सम्बंधित बैंक खातें में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	अवधि	राशि
1	4/3/17 से 7/3/2017	30810
2	8/3/17 से 17/3/17	1831
3	18/3/17 से 21/3/17	5081
	22/3/17 से 27/3/17	2615

14 दुकानदारों से सफाई शुल्क की शेष वसूली ₹0.38 लाख :-

ग्राम पंचायत द्वारा वाकनाघाट स्थित दुकानदारों से ₹100 तथा सब्जी विक्रेताओं से ₹150 प्रतिमाह की दर से सफाई शुल्क वसूल किये जाने सम्बन्धी ग्राम सभा द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20/08/2014 के प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा पारित किया गया था, जिसके अनुसार विभिन्न दुकानदारों से दिनांक 31/03/2017 तक ₹37,750 वसूल की जानी शेष थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त शुल्क की वसूली नहीं की गई,जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ साथ सभी दुकानदारों से सम्पूर्ण राशि की वसूली कर कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सफाई शुल्क की वसूली हेतु बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Year	Source of income	No. of items/service	Rate fixed	Total Amt.due	Total Amt. recovered	Balance amount to be recovered	Previous amout outstanding at the beginning of the Financial year	Total outstanding amt.
2014-15	Sanitation Tax	56	100	29500	26950	2550	0	2550
2015-16	Sanitation Tax	59	100	70800	41150	32200	2550	32200
2016-17	Sanitation Tax	59	100	35400	29850	37750	32200	37750

15 व्यवसायिक संस्थाओं से कर वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत के परिक्षेत्र में दो निजी शैक्षणिक संस्थाओं अर्थात रायत बाहरा विश्वविद्यालय तथा जेपी विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है परन्तु इन संस्थाओं पर ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कर अधिरोपित नहीं किया गया है, जबकि पंचायती राज अधिनियम की धारा 100 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को व्यवसायिक संस्थाओं पर कर अधिरोपित की जाने की शक्तियां प्रदान की गई है ताकि ग्राम पंचायत को कर के रूप में राजस्व की प्राप्ति हो सके। अतः उपरोक्त व्यवसायिक संस्थाओं पर कर अधिरोपित किया जाना व वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा बैंक से स्वय के नाम से राशि का आहरण :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा निम्न विवरणानुसार चैक को स्वय के नाम से आहरित कर विभिन्न पक्षों को देय राशि का भुगतान नगद रूप से किया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के अन्तर्गत वित्त प्रबंधन से सम्बंधित किये गए प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सम्बंधित पक्षों को ही चैक जारी कर देय राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित जाए।

प्रधान द्वारा स्वय के नाम से आहरित चैकों का विवरण

क्रम सं0	**चैक सं0**	**दिनांक**	**राशि**	**देय राशि का विवरण**	**रोकड़ बही पृष्ट संख्या**
1	297470	5/11/15	25560	मस्टरोल संख्या 8632	69
2	297476	20/11/15	12246	मस्टरोल संख्या 8633	71
3	297473	20/11/15	5652	मस्टरोल संख्या 8634	71
4	297483	19/03/16	4000	श्री जगत राम को सफाई अनुबंध राशि का भुगतान	90

17 सफाई ठेकेदार को बिना अनुबंध के ₹0.15 लाख का भुगतान :-

ग्राम पंचायत द्वारा श्री भगत राम सफाई ठेकेदार को ₹15000 का भुगतान वाकनाघाट दुकान परिसर में माह 07/15 से 9/15 तक सफाई करने की एवज में ₹5000 प्रति माह की दर से किया गया है तथा इस राशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न दुकानदारों से रसीद संख्या 33442 से 33500 एकत्रित ₹5900 तथा रसीद संख्या 33501 से 33565 एकत्रित ₹9100 से किया गया है जबकि नियमानुसार पंचायत द्वारा एकत्रित राशि को पंचायत निधि में जमा करवाया जाना वांछित था तथा वाणिज्यिक परिसर की सफाई का कार्य निविदाएँ आमंत्रित करने के उपरांत ही न्यूनतम निविदा प्रस्तुत करने वाले पक्ष से अनुबंध करने के उपरांत ही करवाया जाना वांछित था।

अतः स्पष्ट किया जाए की, श्री भगत राम को ₹5000 प्रति माह की दर से किया गया भुगतान किस प्रकार से उचित है तथा किन नियमों के अन्तर्गत पंचायत के स्वय स्त्रोत से एकत्रित राशी को पंचायत निधि में जमा किये बिना ही नगद भुगतान हेतु प्रयोग में लाया गया।

18 मैo Trumph Business सेंटर सोलन को ₹0.38 लाख का भुगतान :-

13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गाँव चिल्ला में रज्जू मार्ग (रोप वे) स्थापित करने हेतु मैo Trumph Business सेंटर सोलन को ₹38000 का भुगतान दिनांक 5/10/2015 को चैक संख्या 948142 द्वारा किया गया है।मैo Trumph Business सेंटर सोलन द्वारा रज्जू मार्ग स्थापित करने हेतु आरसीसी कॉलम व बैड आदि बनाने के उपरांत ही ईंजन,पुली,मशीन आदि को स्थापित किया जाना था परन्तु मैo Trumph Business सेंटर सोलन द्वारा प्रस्तुत बिल में

उनके द्वारा स्थापित आरसीसी कॉलम व बैड आदि का कोई भी साइज़ (length, breadth,hight) नहीं दिया गया है और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत बिल पर माप पुस्तिका में प्रविष्टि का कोई उल्लेख किया गया है जिसकी अनुपस्थिति में मैo Trumph Business सेंटर सोलन को ₹38000 का भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः रज्जू मार्ग स्थापित करने हेतु किये गए कार्य के सत्याप्रार्थ सम्बंधित माप पुस्तिका को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

19 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.60 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद ही क्रय किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त होकर, न्यूनतम बाजारी मूल्यों पर एच्छिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा न तो नियम 3(ए) के अनुसार निविदाएँ ही प्राप्त की गई और न ही किसी क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए गए । नियम 3(ए) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड सदस्य तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदाएँ/टेंडर आमंत्रित करने के उपरान्त ही ₹1000 से अधिक के स्टोर-स्टॉक/निर्माण सामग्री क्रय किए जाने का प्रावधान है परंतु ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार के क्रय हेतु न तो उप समिति का गठन किया गया है और न ही कोई निविदाएँ/टेंडर ही नियमानुसार प्राप्त किए है, बल्कि यदाकदा बिना किसी कमेटी के, निर्धारित औपचारिकता को पूर्ण किये बिना ही क्रय की जाने वाली वस्तु/ सामग्री से सम्बंधित मूल्य प्राप्त कर कोटेशन के नाम पर महज औपचारिकता हेतु (just for formality) संलग्न किया गया है परन्तु इस प्रकार संलग्न किसी भी मूल्य सूची को किसी भी समिति/उपसमिति द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों से होने वाले लाभ से पूर्णतः वंचित किया गया है इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ देने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है अतः स्टॉक-स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक-स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अंकेक्षण हेतु चयनित माह की जांच में पाया गया की पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट–IV के अनुसार लगभग **₹6,59,639** के स्टॉक-स्टोर का क्रय उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है ।

20 जेसीबी चार्जीस ₹0.06 लाख का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत वाकना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा प्राकृतिक आपदा राहत कोष के अन्तर्गत जे पी यूनिवर्सिटी से गाँव रझाना तक के सड़क मार्ग मुरम्मत के कार्य हेतु श्री राकेश रोहाल, केथलीघाट की ₹750 प्रति घंटा की दर से 9 घंटे तक जेसीबी से कार्य के लिए ₹6615 प्रदान की गई है जबकि तकनीकी सहायक/ कनिष्ट अभियंता द्वारा इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश पीडब्लूडी शेड्यूल रेट के आधार पर कटाई करवाने हेतु एस्टीमेट तैयार कर कार्य की प्रमात्रा क्यूबिक मीटर में निकाली जानी अपेक्षित थी जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कार्य की प्रकृति व् प्रमात्रा के आधार पर सड़क निर्माण/मुरम्मत हेतु प्रति क्यूबिक मीटर के आधार पर निविदाएँ /टेंडर आमंत्रित करने के उपरांत कार्य करवाया जाना वांछित था। ग्राम पंचायत द्वारा जिस प्रकार जेसीबी मशीन से करवाई गई निर्माण/मुरम्मत का भुगतान घंटों के आधार पर किया गया है वह किसी भी प्रकार से तर्कसंगत व् न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है क्यों की न तो कार्य पूर्ण होने के उपरांत अनुमानित कार्य व् वास्तविक रूप से हुए कार्य को जांचने के उपरांत तकनीकी सहायक/कनिष्ट अभियंता द्वारा डेविएशन स्टेटमेंट तैयार की गई है और न ही कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र ही जारी किया गया है, इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जेसीबी मालिक द्वारा बिल में दर्शाए गए घंटों को किसी भी सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है जिसकी अनुपस्थिति में बिल पर दर्शाए गए कार्य घंटों की सत्यता व कार्य के पूर्ण निष्पादन न होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रति घंटे की दर से जेसीबी से करवाए गए कार्य की जांच करवाया जाना सुनिश्चित करे की, जिस कार्य हेतु भुगतान किया गया है वह पूर्ण हो चुका है तथा जेसीबी को प्रति घंटे की दर से शेडयूल रेट के आधार पर निर्धारित होने वाली राशी व न्यायोचित दरों से अधिक भुगतान नहीं किया गया है तथा उक्त कार्य की रिकार्ड प्रविष्टि को माप पुस्तिका में पूर्ण विवरण सहित दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भविष्य में इस प्रकार के कार्यों के भुगतान को तकनीकी सहायक/कनिष्ट अभियंता से सत्यापित करवाकर तथा माप पुस्तिका में प्रविष्ट कर, माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या का विवरण सम्बंधित बिलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 ₹1.31 लाख के मस्ट्रोल पर करवाए गए कार्य का बिना सत्यापन भुगतान करना:-

मस्ट्रोल पर करवाए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु जारी मस्ट्रोल की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट **V** के अनुसार ₹130928 के मस्ट्रोल पर श्रमिकों द्वारा किये गए कार्य की प्रगति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था और न ही मस्ट्रोल पर कार्य प्रगति (progress of work done by the labourers) के किसी पंजिका में प्रविष्टि किये जाने से सम्बन्धित कोई उल्लेख था जिस कारण मस्ट्रोल पर करवाए गए कार्य का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित तकनीकी सहायक व कनिष्ट अभियंता द्वारा कार्य प्रगति से सम्बंधित तैयार किया गया अभिलेख अवलोकनार्थ पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हो तथा तकनीकी सहायक/कनिष्ट

अभियंता द्वारा मस्ट्रोल पर सम्बन्धित कार्य की एम् बी में प्रविष्ट किये जाने का भी स्पष्ट उल्लेख हो।

22 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य है अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

i चैक जारी करने का रजिस्टर

ii चल संपत्ति का रजिस्टर

iii आकस्मिक व्यय रजिस्टर

iv चैक प्राप्ति रजिस्टर

v प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर

vi इन्वेंट्री रजिस्टर

23 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा न तो क्रय की जा रही भण्डार सामग्री को नियमानुसार सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्ट किया जा रहा है और न ही क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

24 **लघु आपत्ति विवरणिका :** – इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

25 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(4)44/2018 खण्ड–1–4488–4491 दिनांक 21.06.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत वाकना, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कण्डाघाट, जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046